



**State Environment Impact Assessment Authority, M.P.**  
(Government of India, Ministry of Environment & Forests)

**Environmental Planning & Coordination Organization**

Paryavaran Parisar, E-5. Arera Colony

Bhopal-4620 16

visit us <http://www.mpseiaa.nic.in>

Tel: 0755-2466970, 2466859

Fax : 0755-2462136


No: 12576/SEIAA/16

Date: 24.3.16

**कार्यालयीन ज्ञापन**

मध्यप्रदेश सिया द्वारा 305वीं बैठक में लिये गये निर्णयानुसार 5 हेक्टेयर तक के गौण खनिजों के पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित प्रकरणों के आवेदन की ऑन-लाईन स्वीकृति तथा पंजीकरण का कार्य भी अभी तक मध्यप्रदेश सिया द्वारा किया जा रहा था, किंतु अब 307वीं बैठक दिनांक 22.03.2016 में लिये निर्णयानुसार दिनांक 24.03.2016 से 5 हेक्टेयर तक के खनन प्रकरणों के आवेदन की ऑन-लाईन स्वीकृति तथा उनके पंजीकरण का कार्य मध्यप्रदेश सिया द्वारा तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है।


ई.आई.ए. नोटिफिकेशन दिनांक 15.01.2016 के अनुसार 5 हेक्टेयर तक के गौण खनिजों के खनन प्रकरणों के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अब आवेदक को जिला पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.) में फार्म-1एम तथा अन्य सभी वांछित दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा। यदि विभिन्न खदानों को मिलाकर क्लस्टर बन रहा है तथा क्लस्टर का क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक तथा 25 हेक्टेयर से कम है एवं इनमें एक भी लीज 5 हेक्टेयर क्षेत्रफल से अधिक की नहीं है तो उस स्थिति में आवेदक को डी.ई.आई.ए.ए. में आवेदन करना होगा। अन्य स्थिति में आवेदक राज्य पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार आवेदन करेगा।

  
D/C (अजातशत्रु श्रीवास्तव)  
सदस्य सचिव

पृ.क्र. 12577 /SEIAA/2016 24.3.16

भोपाल दिनांक

1. सभी संबंधित
2. अध्यक्ष/सदस्य SEIAA राज्य पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल।
3. सभी जिला कलेक्टर, म.प्र.।
4. सभी अधिकारी SEIAA एवं SEAC भोपाल
5. गार्ड फाईल
6. MP SEIAA वेबसाईट

  
D/C (अजातशत्रु श्रीवास्तव)  
सदस्य सचिव